

JOINT COMMITTEE REPORT

In the Matter of

OA 158/2023(CZ)

Chandar Singh Bagwan

Vs.

State of Madhya Pradesh &Ors.

Order dated 03.11.2023

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT

Ref: Factual & Action taken report in compliance to the Hon'ble NGT order dated 03.11.2023 in the matter of OA 158/2023 (CZ) "Chandar Singh Bagwan Vs. State of Madhya Pradesh & Ors.": -

Hon'ble NGT issued following instructions on dated 03.11.2023 in the matter of OA 158/2023 (CZ) "Chandar Singh Bagwan Vs. State of Madhya Pradesh & Ors."

- 1. Issue raised in this application is exorbitant quantum of illegal mining of sand taking place at village Badagaon, Babri, Jajna, Charua, Nhalai, Madhagaon, Jahajpur, Janwasam Semalwad, Mhow Kala Ninor, Chhipaner, Ambajadeed, Chhidgaoankacchi, Neelkanth, of District Sehore, wherein, there is not even a single allocated/valid Sand Quarry in terms of the list of Sand Quarries, for which, the tender has been floated as per the Madhya Pradesh Sand Mining Policy, 2019 as the date of the tender has already been over on 30/06/2023 and the work of the non-applicant no. 7 still continues.*
- 2. For carrying out illegal sand mining, JCBs, Pokland and Kashtis are being used, which are excavating illegal sand from the river bed of Narmada in and around the mentioned villages of District Sehore. After excavating the sand from the river bed, all the excavated sand is collected in the adjacent farm land of the villagers disturbing the entire flora fauna of the fertile soil/ agricultural land of the mentioned villages.*
- 3. By illegally excavating sand from all the above-mentioned villages adjacent to Narmada bed in District Sehore, the sand is transported to various locations as per the demand and arrangements. In order to*

transport the sand from the illegal query, Electronic Transit Permit (ETP) /Royalty is generated of some other area wherein illegal sand mining is taking place in some other distance location around Narmada bed. The google coordinated have captured pictures of dumpers loaded with sand at some specific location at a specific time whereas the Royalty has been paid from some other distant locations.

- 4. A substantial issue of environment has been raised.*
- 5. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
- 6. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*
- 7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
 - i. One representative from Collector, Sehore, (M.P.).*
 - ii. One representative from Central Pollution Control Board, (M.P.).*
 - iii. One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board.**
- 8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

As per the petition, following points are reviewed for illegal sand mining:

- M/s Power Mech Project Ltd. tender has gotten over on 30.06.2023, still illegal excavation of the sand from the river beds of Narmada from various areas around/ghats/belts of

Narmada for which no permission has been granted for sand mining.

- Extraction of sand mining is taking place during day and night hours and by way of pandubbies. There are more than hundred pandubbies at the area in question which are extracting sand illegally from the river bed of River Narmada leading to disruption of the river course of river Narmada and causing environmental degradation.
- Electronic Transit Permit (ETP) /Royalty is generated of some other area wherein illegal sand mining is taking place in some other distance location around Narmada bed.

In compliance to the order of Hon'ble NGT dated 03.11.2023, a joint committee consisting of the following officials of the concerned department is constituted: -

- (i) Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B', CPCB, Bhopal.
- (ii) Shri Rajendra Parmar, District Mining Officer, Sehore.
- (iii) Shri Subodh Bhargava, Jr Scientist, RO, MPPCB, Bhopal.

Apart from the officials, Ms. Prakamya Tiwari, Assistant Engineer (C), Regional Office, MPPCB, Bhopal was present during the inspection. Joint committee on dated 05.03.2024 conducted a site. The photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure I**.

The joint committee discussed the issues mentioned in the petition and accordingly decided to obtain the information primarily from the concerned departments viz., District Mining Office, Sehore and M/s The M.P. State Mining

Corporation Ltd., Bhopal. The main points are related to the operation of sand mines after contract period and verification of the pit passes issued for sand transportation also action taken by the district mining office against the illegal mining / transportation etc. are considered. The points on which information is required from the concerned departments are mentioned as under:

1. Information of operation of sand mines after 30.06.2023.
2. Information and verification regarding issuance of Electronic Transport Passes (ETP), after June 30, 2023.
3. The measures taken by the District Mining Office, Sehore, in relation to the illegal mining and transportation of sand.
4. Operational status of sand mines.

A. A letter was issued to Managing Director, M.P. State Mining Corporation, Bhopal vide letter no. 465 dated 07.03.2024 regarding operation of sand mines after 30/06/2023. The copy is enclosed as **Annexure II**. The M.P. State Mining Corporation, Bhopal vide letter no. 270 dated 14.03.2024 has submitted the information. Copy is enclosed as **Annexure III**. As per information submitted, the points mentioned are as under :

- i. Sand mines were not being operated by M/s Power Mech Project Ltd. after 30.06.23 for excavation of sand.
- ii. According to the information submitted, the 10 ETPs enclosed with the petition have been issued from the sand stock yards and not from sand mining sites.

B. In references to the Hon'ble NGT order dated 03.11.2023, being nodal agency in the case MPPCB issued vide letter no. 462 dated 07.03.2024 to District Mineral Officer, Collector Office, Sehore to provide information of

illegal sand mining. The copy is enclosed as **Annexure IV**. In this regard, District Mineral Officer, Collector Office, Sehore vide letter no. 1196 dated 12.03.2024 has provided the information regarding action taken for illegal mining, illegal transportation and illegal storage in the year 2023-2024. The descriptive information with letter is enclosed as **Annexure V**. As per information submitted:

1. Illegal mining in the year 2023-24: Total quantity seized by mineral department is 18,934 m³. Total fine imposed is Rs. 30,748,150/-. Total amount of deposited fine is Rs. 49,21,400/-.

For the remaining amount, eight cases are filed before the court.

SNo.	Number of Vehicles and machineries seized	Quantity of Minerals Seized (in m³)	Penalty Imposed (in Rs.)	Amount Deposited (in Rs.)
1.	3 JCBs & 5 Tractor Trolley	370	5,58,000	5,58,000
2.	17 JCBs	406	14,60,750	13,47,250
3.	17 Poclain	17492	2,70,70,850	14,82,600
4.	7 tractor Trolley	106	3,95,050	3,95,050
5.	21 Boat Engine	63	2,57,250	2,20,500
6.	4 Loader	108	4,09,000	4,09,000
7.	5 Dumper	193	3,01,250	2,13,000
8.	1 Poclain & 1 Dumper	56	85,000	85,000

9.	2 JCBs & 1 Dumper	140	2,11,000	2,11,000
----	-------------------	-----	----------	----------

2. Illegal transportation in the year 2023-24: Total quantity seized by mineral department is 2988.5 m³. Total fine imposed is Rs. 2,00,23,032/-. Total amount of deposited fine is Rs. 1,75,72,320/-.

For the remaining amount, seventeen cases are filed before the court.

Sno.	Number of Vehicles and machineries seized	Quantity of Minerals Seized (in m³)	Penalty Imposed (in Rs.)	Amount Deposited (in Rs.)
1.	124 Dumper	2707.5	1,71,13,794	1,48,52,832
2.	92 Tractor Trolley	281	29,09,238	27,19,488

3. Illegal storage in the year 2023-24: Total quantity seized by mineral department is 341 m³. Total fine imposed is Rs. 1,190,775/-. Total amount of deposited fine is Rs. 10,20,025/-.

For the remaining amount, two cases are filed before the court.

Sno.	Number of Vehicles and machineries seized	Quantity of Minerals Seized (in m³)	Penalty Imposed (in Rs.)	Amount Deposited (in Rs.)
1.	1 JCBs	14	51,400	51,400
2.	12 Dumper	273	9,02,250	8,07,500
3.	2 Tractor Trolley	34	1,61,125	1,61,125
4.	-	20	76000	-

C. In reference to the inspection of the sites, so as to verify whether the mines are still being operated by the M/s Power Mech Project Ltd., the inspection committee had visited the sand mines. The committee visited the Badagaon, Babri, Jajna, Charua, Nhalai, Madhagaon, Jahajpur, JanwasamSemalwad, Mhow Kala, Ninor, Ambajadeed, Neelkanth, of District Sehore. As per the environmental clearance issued by MPSEIAA the mines are transferred to M/s The M. P. State Mining Corporation Ltd, Bhopal (**Annexure VI**) and currently mines are being operated by the M. P. State Mining Corporation Ltd, Bhopal.

Earlier, in the matter of OA No. 75 of 2021 Smt. Geeta Laxmi Meena Vs State of MP, Hon'ble NGT directed to state authorities to take stringent action against the violation of law and in case any mining activity is found in contravention of the rules take punitive action, in spite of the above directions still illegal sand mining is not fully stopped, however local authorities are taking action against the violators. The local authorities to keep constant vigil over the mining activity of the area for better implementation of rules.

CONCLUSION

As per the observations of the site visit and information received from the Mining Department, Govt. of Madhya Pradesh regarding issuing of pit passes, it can be concluded that no mining activity carried out by M/s Power Mech company after 30.6.2023, however ETP had been issued from the stock yards for transportation of sand because the permission of sand stocking was extended upto 30.9.2023 by the Government of MP. Hence, the main points mentioned in the petition i.e. illegal mining and storage of sand are not in consonance with the field observations.

Presently the Environmental Clearance has been transferred to The M. P. State Mining Corporation Ltd, Bhopal for further operation of all the sand mines of Sehore district.

Recommendations:


In view of the above the following recommendation made by the committee:

1. The mechanism to control illegal mining as suggested by the CPCB in the OA 75/2021 in the matter of Smt. Geeta Laxmi Meena Vs State of M.P. should be considered and complied with in light of the SSMG, 2016 and EMGSM, 2022.
2. Warning Boards intimating the penalty for illegal mining and transportation of sand should be placed by the Mining Department at prominent locations of mining and stock yards.
3. District authorities shall strengthen the site inspections by the Revenue Department and Mining Department of State Government at regular intervals for the mines as well as the stock yards.



18/08/2024

Brajesh Sharma
Regional Officer,
Regional Office,
MPPCB, Bhopal



Dr. Anoop Chaturvedi
Scientist 'B'
RD, CPCB, Bhopal



Rajendra Parmar
District Mining Officer,
Mining Department,
Sehore



Subodh Bhargava
Jr. Scientist,
Regional Office,
MPPCB, Bhopal

Inspection Photographs in OA 158/2023

On Dated 05.03.2024



Somalvada Sand Mines



Janwasa Sand Mines



Mahu Kalla Sand Mines



Ninor Sand Mines



Jahajpura Sand Mines



Charua Sand Mines



Nehlai Sand Mines



Neelkanth Sand Mines



Ambajadeed Sand Mines



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 465 /क्षेका/प्रनिबो/ भोपाल, दिनांक 07/03/2024
प्रति,

प्रबंधक संचालक
एम.पी. स्टेट मार्टनिंग कार्पोरेशन
पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स,
जिला- भोपाल (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 158/2023 (सीजेड) चंदर सिंह भगवन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के आदेश दिनांक 03.11.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 158/2023 (सीजेड) चंदर सिंह भगवन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में आदेश दिनांक 03.11.2023 का अवलोकन करें। उपरोक्त आदेशानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें क्रमशः डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीहोर, केन्द्रीय एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया है। संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 को किया गया था। कृपया निरीक्षण उपरान्त माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत पिटिशन में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध करावे (पिटिशन की प्रति संलग्न है) :-

1. प्रस्तुत पिटिशन में पावर मेक लि. को जिला सिहोर मे रेत उत्खनन हेतु टेण्डर की अवधी 30.06.2023 तक की अवधी हेतु प्रदान किया गया था।
2. पिटिशन के साथ प्रस्तुत बिन्दु 3.11 पर प्रस्तुत टेबिल अनुसार उपरोक्त कम्पनी द्वारा रेत उत्खनन का कार्य 30.06.2023 के पश्चात किया गया है।
3. पिटिशन के साथ 30.06.2023 के उपरान्त अवधी हेतु जारी पिट पास की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें रेत ट्रासपोर्ट की अवधी 30.06.2023 के उपरान्त की उल्लेखित है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष में आप अपने अभिमत से अवगत करावे एवं उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के समक्ष तथ्यात्मक जानकारी मय दस्तावेजों के प्रदान करें, ताकि जानकारी माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 19.03.2024 को नियत है। कृपया जानकारी 03 दिवस में प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

07/03

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393

फैक्स : 0755- 2763394

e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in

Website : www.mpsmcl.mp.gov.in

CIN : U01410MP1962SGC000937

कमांक / आईटी / 2023 / 270

पंजीकृत कार्यालय :

पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)

द्वितीय तल, जेल रोड,

अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दिनांक 14/03/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, भोपाल म0प्र0

विषय :- माननीय एनजीटी में प्रचलित प्रकरण कमांक 158/2023 (सीजेड) चंदर सिंह भगवन विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य)

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक / 465 / क्षेका / प्रनिबो / 2023 भोपाल दिनांक 07.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निम्न प्रकार है :-

1- याचिका में संलग्न कुल-10 ईटीपी का विवरण नीचे परिशिष्ट-1 में संलग्न है, ये समस्त ईटीपी रेत पोर्टल से जारी हुई है एवं मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि0 को स्वीकृत रेत स्टॉक से जारी की गई है।

2- उक्त ईटीपी रेत खदानों से जारी नहीं हुई है।

3- जिला सीहोर के मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि0 को आवंटित ठेके की मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी। यह ठेका कोविड-19 राहत पैकेज के तहत दिनांक 30.08.2023 तक विस्तारित किया गया था। किन्तु मानसून अवधि में खदानों के संचालन पर दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक प्रतिबंध लागू रहा तथापि इस अवधि में भण्डारण से रेत का निवर्तन जारी रहा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


(आशुतोष टेमले)
महाप्रबंधक (खान),

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (खान),



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S7998448371	Date & Time of Transportation 12-08-2023 11:06:00	District Sehore	Tehsil Rehti
Stock/Office Address Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)		Sand Quantity 20.00 Cubic Meter
Purpose Sale	Buyer's Details MITHUN, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via GOPALPUR	
Distance(Approx) 389.47 KM	Traveling Duration(Approx) 14 hours 59 mins	e-TP Generated On 12-08-2023 11:05:15	e-TP Valid Upto 13-08-2023 02:05:00
Driver Name MITHUN		Driver Mobile No. 9669609942	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No RJ09GD5741	Carrier Type Dumper	Load Capacity(Cubic Meter): 15.3282	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address NEW BARFANI TRADERS-54 SHRUTI SHELTER NIPANIYA DISTRICT- INDORE (M.P.)		
Registered With MRD District INDORE	MRD Registraion ID No 390959/INDO/2022	Registration Date 03-11-2022	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

(Signature)
जीवन सिंह अहिरवार
कनिष्ठ प्रबंधक (सील)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S0250818294	Date & Time of Transportation 21-07-2023 15:40:00	District Sehore	Tehsil Rehti
Stock/Office Address Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)	Sand Quantity 20.00 Cubic Meter	
Purpose Sale	Buyer's Details ASHESH, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via GOPALPUR	
Distance(Approx) 391.1 KM	Traveling Duration(Approx) 15 hours 2 mins	e-TP Generated On 21-07-2023 15:36:52	e-TP Valid Upto 22-07-2023 06:42:00
Driver Name ASHESH	Driver Mobile No. 8827466213		

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No RJ09GE8134	Carrier Type Dumper	Load Capacity(Cubic Meter): 15.3282	Registered With RTO CHITTAURGARH
State RAJASTHAN	Owner Name & Address GURJAR CONTRUCTION-GRAM DISHIA BICHOLI INDORE MP		
Registered With MRD District ALIRAJPUR	MRD Registraion ID No 388957/ALIR/2022	Registration Date 14-10-2022	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

जीवन सिंह खरिवार
कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S8011149269	Date & Time of Transportation 11-08-2023 17:30:00	District Sehore	Tehsil Rehti
Stock/Office Address Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)		Sand Quantity 20.00 Cubic Meter
Purpose Sale	Buyer's Details VAKIL, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via BORDI	
Distance(Approx) 389.47 KM	Traveling Duration(Approx) 14 hours 59 mins	e-TP Generated On 11-08-2023 17:27:18	e-TP Valid Upto 12-08-2023 08:29:00
Driver Name VAKIL		Driver Mobile No. 7773809415	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No RJ09GD5325	Carrier Type Dumper	Load Capacity(Cubic Meter): 15.265	Registered With RTO CHITTORGARH
State RAJASTHAN	Owner Name & Address SWATI SHRIVASTAVA W/O BALKRISHNA SHRIVASTAVA-02 SHIVAJI MARG MEENA BAZAR DEWAS C/O KRISHNA GOPAL SAHU 3/415 ATAL NAGAR NIMBAHERA CHITTAURGARH RJ 3126		
Registered With MRD District DEWAS	MRD Registraion ID No 363281/DEWA/2022	Registration Date 15-03-2022	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

खनिज विभाग
जीएचडी प्रबंधक (जीएचडी)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S9342358842	Date & Time of Transportation 21-07-2023 15:32:00	District Sehore	Tehsil Rehti
Stock/Office Address Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)		Sand Quantity 23.00 Cubic Meter
Purpose Sale	Buyer's Details PAWAN, ALIRAJPUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Alirajpur	Route Details/Via GOPALPUR,BADWA,KHARGAON	
Distance(Approx) 412.69 KM	Traveling Duration(Approx) 15 hours 46 mins	e-TP Generated On 21-07-2023 15:30:49	e-TP Valid Upto 22-07-2023 07:18:00
Driver Name PAWAN		Driver Mobile No. 8223050383	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HJ9576	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 14.8035	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address RAJENDRA JAISWAL-C/O SANDEEP JAISWAL S/O PHOOL CHAND JAISWAL 17 DRAVID NAGAR SUDAMA NAGAR INDORE		
Registered With MRD District KHARGONE	MRD Registraion ID No 388764/KHAR/2022	Registration Date 12-10-2022	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

(Signature)
जीवन सिंह अहिरवार
कनिष्ठ प्रबंधक (कीबड)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S9342358842	Date & Time of Transportation 21-07-2023 15:32:00	District Sehore	Tehsil Rehti
Stock/Office Address Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)	Sand Quantity 23.00 Cubic Meter	
Purpose Sale	Buyer's Details PAWAN, ALIRAJPUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Alirajpur	Route Details/Via GOPALPUR,BADWA,KHARGAON	
Distance(Approx) 412.69 KM	Traveling Duration(Approx) 15 hours 46 mins	e-TP Generated On 21-07-2023 15:30:49	e-TP Valid Upto 22-07-2023 07:18:00
Driver Name PAWAN		Driver Mobile No. 8223050383	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HJ9576	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 14.8035	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address RAJENDRA JAISWAL-C/O SANDEEP JAISWAL S/O PHOOL CHAND JAISWAL 17 DRAVID NAGAR SUDAMA NAGAR INDORE		
Registered With MRD District KHARGONE	MRD Registraion ID No 388764/KHAR/2022	Registration Date 12-10-2022	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

खनिज विभाग (खनिज)
खनिज प्रबंधक (खनिज)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S2264662721	Date & Time of Transportation 24-09-2023 20:25:00	District Sehore	Tehsil Nasrullaganj
Stock/Office Address Unnamed Road, Digwad, Madhya Pradesh 466446, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062023373)	Sand Quantity 20.00 Cubic Meter	
Purpose Sale	Buyer's Details AMIT JINDAL , UJJAIN		
State Madhya Pradesh	Destination To Neemuch	Route Details/Via BORDI	
Distance(Approx) 441.33 KM	Traveling Duration(Approx) 16 hours 43 mins	e-TP Generated On 24-09-2023 20:22:58	e-TP Valid Upto 25-09-2023 13:08:00
Driver Name SANTOSH		Driver Mobile No. 9713580116	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP13ZC9454	Carrier Type Dumper	Load Capacity(Cubic Meter): 13.135	Registered With RTO UJJAIN
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address MR SUNIL ONKARLAL-BHEISODA TAJPUR UJJAIN		
Registered With MRD District UJJAIN	MRD Registraion ID No 413967/UJJA/2023	Registration Date 21-04-2023	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

जीवन सिंह खडेरवार
कनिष्ठ प्रबंधक (जीएच)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S4981252333	Date & Time of Transportation 29-09-2023 12:35:00	District Sehore	Tehsil Budhni
Stock/Office Address Budhni, Madhya Pradesh 466554, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062117144)	Sand Quantity 20.00 Cubic Meter	
Purpose Sale	Buyer's Details MUNNA, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via GOPALPUR	
Distance(Approx) 403.66 KM	Traveling Duration(Approx) 15 hours 28 mins	e-TP Generated On 29-09-2023 12:33:55	e-TP Valid Upto 30-09-2023 04:03:00
Driver Name MUNNA		Driver Mobile No. 6263668011	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HJ6605	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 12.1481	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address C K TRADERS-PROP CHANCHAL KUMAWAT 605 SAI KRIPA COLONY MR 10 ROAD VIJAY NAGAR INDORE		
Registered With MRD District INDORE	MRD Registraion ID No 237494/INDO/2019	Registration Date 27-05-2019	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

जीवन सिंह अहिरवार
कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S1174209660	Date & Time of Transportation 11-09-2023 12:40:00	District Sehore	Tehsil Nasrullaganj
Stock/Office Address Unnamed Road, Digwad, Madhya Pradesh 466446, India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062023373)		Sand Quantity 16.00 Cubic Meter
Purpose Sale	Buyer's Details PAWAN, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via GOPALPUR	
Distance(Approx) 395.07 KM	Traveling Duration(Approx) 15 hours 10 mins	e-TP Generated On 11-09-2023 12:38:30	e-TP Valid Upto 12-09-2023 03:50:00
Driver Name PAWAN		Driver Mobile No. 8817929189	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HJ7999	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 11.5233	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address SOURABH JAT-NEMAWAR ROAD 440 DUDHIYA DUDHIA INDORE		
Registered With MRD District INDORE	MRD Registraion ID No 233408/INDO/2019		Registration Date 01-05-2019

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

(Handwritten Signature)
जीवन सिंह खनिज विभाग
खनिज प्रहारा (जीएनएमटी)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S5892220272	Date & Time of Transportation 30-09-2023 15:15:00	District Sehore	Tehsil Budhni
Stock/Office Address VXQV G7 Jontala Madhya Pradesh India	Lessee KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062224437)	Sand Quantity 18.00 Cubic Meter	
Purpose Sale	Buyer's Details BADRI PRASAD MUDGIL .		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via GOPALPUR	
Distance(Approx) 437.72 KM	Traveling Duration(Approx) 16 hours 35 mins	e-TP Generated On 30-09-2023 15:13:11	e-TP Valid Upto 01-10-2023 07:50:00
Driver Name RAJA		Driver Mobile No. 9399693951	

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HH6420	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 12.2475	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address AJAY MEENA S/O MOHANLALJI NEENA-22 BAIGRAM SIMROL TEH MHOW INDORE		
Registered With MRD District INDORE	MRD Registraion ID No 297713/INDO/2020	Registration Date 02-11-2020	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

जीवन सिंह अहिरवार
कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)



Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Stockist)

इसकी वैधता जांचने के लिये QR Code स्कैन करें !



Travel time exceeded



Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. S7229641736	Date & Time of Transportation 07-07-2023 20:20:00	District Dewas	Tehsil Khategaon
Stock/Office Address NH47, Dulwa, Madhya Pradesh 455339, India	Lessee PARAM AGENCIES Dulwa Stock (STK062022877)		Sand Quantity 16.00 Cubic Meter
Purpose Sale	Buyer's Details AJAY, MANDSAUR		
State Madhya Pradesh	Destination To Mandsaur	Route Details/Via KHATEGAON	
Distance(Approx) 340.65 KM	Traveling Duration(Approx) 13 hours 22 mins	e-TP Generated On 07-07-2023 20:15:36	e-TP Valid Upto 08-07-2023 09:42:00
Driver Name AJAY		Driver Mobile No. 6264980078	


Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP09HH6707	Carrier Type Truck	Load Capacity(Cubic Meter): 9.585	Registered With RTO INDORE
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address M/S BALAJI ENTERPRISES-PROP SANJAY SHARMA UG -45 BARWANI PLAZA PALASIA INDORE		
Registered With MRD District INDORE	MRD Registraion ID No 170686/INDO/2018		Registration Date 20-06-2018

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department(mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges.Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification,issued by the Mineral Resource Department(MRD),GoMP for Prevention of Illegal Mining,Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012,all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website(ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration,with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty,DMF,NMET and Income Tax as applicable for the Lease.


Sanjay Sharma
Joint Secretary

फॉर्म - आर के स्टॉक ऑफ मासगरी रजिस्ट्र - 01/07/2023

Mis Stock e-TP

S.N o.	District	Stockist Name/Stockist Id	Stockist Address	Stockist type	Balance quantity (Cu.m)
1	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062023373)	Unnamed Road, Digwad, Madhya Pradesh 466446, India	H1	108148.23
2	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062224437)	VXQV G7 Jontala Madhya Pradesh India	H1	21463.59
3	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)	Unnamed Road, Pathoda, Madhya Pradesh 466445, India	H1	170581.1527
4	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062018321)	Unnamed Road, Dobi, Madhya Pradesh 466554, India	H1	82.32
5	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062122876)	Unnamed Road, Chipaner, Madhya Pradesh 466331, India	H1	17.24
6	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062109928)	Neelkanth Rd, Sonthiya, Madhya Pradesh 466331, India	H1	6483.1996
7	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062018514)	Unnamed Road, Nonbhet, Madhya Pradesh 466448, India	H1	42.455
8	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062117144)	Budhni, Madhya Pradesh 466554, India	H1	161440
9	Sehore	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062224619)	Mogra, Madhya Pradesh, India	H1	1.44
Total -					468259.6273

13/3/24
 (Signature)
 (Date)
 (Name)

Search Data

Sehore Mining

Pending



Q Search

Dashboard

Export To Excel

STOCKIST LIST

S.No.	Name	Email	Mobile	Stockist District	Package District	H1 Stockist/ Non H1 Stockist	Is this a stockist for policy before October 2023?	Status	Action
1	Rahul Singh (STK062323697)	rahulsingh023100@gmail.com ✘	9179022962 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
2	Rajkumar (STK052314443)	annumalviya703@gmail.com ✘	7747059208 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
3	Imran Khan (STK052310274)	arshmaninfra@gmail.com ✘	9425009567 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
4	GAJENDRA SINGH (STK032314663)	gs0018172@gmail.com ✘	9340907781 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
5	NETS (STK032314544)	kushwahaa169@gmail.com ✘	8516887509 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
6	RAM SWROOP MEENA (STK022314746)	goyai56com@gmail.com ✘	8959605167 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
7	RAHUL VERMA (STK022312973)	rv06989@gmail.com ✘	9893101637 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
8	Jagdish verma (STK022311823)	jagdishverma7217@gmail.com ✘	9229781140 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
9	Mahesh verma (STK022302929)	sethabhishkek8085@gmail.com ✘	9584718475 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
10	UNIVERSAL PRASHI BUILDCON (STK102208769)	universalprashibuildcon@gmail.com ✘	9425638394 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	

Showing 1 to 10 of 25

Search Data

Sahaj Mining

Pending

Q Search

Dashboard

Export To Excel

STOCKIST LIST

S.No.	Name	Email	Mobile	Stockist District	Package District	H1 Stockist/ Non H1 Stockist	Is this a stockist for policy before October 2023?	Status	Action
11	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062224437)	prabhakarmallarapu9@gmail.com ✓	8815979826 ✗	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
12	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062224619)	ajaykush0@gmail.com ✓	7993610801 ✓	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
13	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062122876)	sableprachi1998@gmail.com ✓	8602516864 ✓	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
14	K PRAVIN (STK062122364)	k.karans4@yahoo.com ✓	8602951590 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
15	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062117144)	sushil.virgo@gmail.com ✓	6265681649 ✗	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
16	K PRAVIN (STK062115762)	chotu.singh74@yahoo.com ✓	8109948842 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
17	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062109928)	jayanthkumar905@gmail.com ✓	9390053011 ✓	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
18	K PRAVIN (STK032126323)	hunt.key@yahoo.com ✓	8109996869 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
19	BHUPENDRA SINGH THAKUR (STK012123421)	governmentvaluver@nvbol.com ✗	9752917283 ✗	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>
20	ramesh (STK122024885)	kollarameshbro@gmail.com ✓	6264082457 ✓	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	<input type="checkbox"/>

Showing 11 to 20 of 25



Search Data

Sehore Mining

Pending

Q Search

Dashboard

Export To Excel

STOCKIST LIST

S.No.	Name	Email	Mobile	Stockist District	Package District	H1 Stockist/ Non H1 Stockist	Is this a stockist for policy before October 2023?	Status	Action
21	Satish mewada (STK062028141)	satishmewada220@gmail.com ✘	8989440220 ✘	Sehore	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
22	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062023373)	pravikota@gmail.com ✓	7489553286 ✓	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
23	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062018514)	prya@netsl.net ✓	7000513336 ✘	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
24	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK062018321)	kota.bandhavi@gmail.com ✓	7415145056 ✓	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
25	KOTA KRISHNA PRAVEEN (STK052027983)	kota@powermech.net ✓	6263469054 ✘	Sehore	-	H1 Stockist	Yes	Pending	

Showing 21 to 25 of 25



Search Data

Search Mining

Pending

Q Search

Dashboard

STOCKIST LIST

Export To Excel

S.No.	Name	Email	Mobile	Stockist District	Package District	H1 Stockist/ Non H1 Stockist	Is this a stockist for policy before October 2023?	Status	Action
1	Mukhram (STK022213436)	manojrathod0294@gmail.com ✘	9098120392 ✘	Dewas	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
2	Ram ji (STK082123494)	dyeiogair@honeys.be ✘	8718909558 ✘	Dewas	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
3	PARAM AGENCIES (STK062111619)	bkilar.lpl@gmail.com ✓	9425004794 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
4	PARAM AGENCIES (STK062111471)	parmanivishwas@gmail.com ✓	9479582282 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
5	PARAM AGENCIES (STK012121235)	parmanivishwas@hotmail.com ✓	9630654896 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
6	PARAM AGENCIES (STK012121449)	vikas.parmani@gmail.com ✓	9131687132 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
7	PARAM AGENCIES (STK012121118)	vikasparmani@gmail.com ✓	9425004896 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	
8	RAJESH BHATI (STK122002871)	chouhan cyber@gmail.com ✘	9826364775 ✘	Dewas	-	Non H1 Stockist	Yes	Pending	
9	PARAM AGENCIES Duiwa Stock (STK062022877)	marketing@paramagencies.com ✓	8319547327 ✓	Dewas	-	H1 Stockist	Yes	Pending	

(Handwritten signature)

मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 19-3/2020/12/1/पार्ट-2/१९३५

भोपाल, दिनांक- 07/07/2023

प्रति,

संचालक (प्रशासन तथा खनिकर्म),
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,
29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के के नियम 18(6) के तहत स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्तियों की अवधि विस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जिलों में पूर्व में अनुबंधित रेत समूह, जिनकी ठेका अवधि दिनांक 30/06/2023 तक एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 18(6) के तहत स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञप्तियों की अवधि दिनांक 30/06/2023 तक थी। वर्षाकाल में रेत खनन प्रतिबंधित होने के कारण माह जुलाई से सितम्बर तक रेत की उपलब्धता / आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

"रेत खदान समूहों के अनुबंधित तथा उच्चतम निविदाकार सहित प्रदेश के अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति, जिनकी अवधि दिनांक 30/06/2023 तक समाप्त हो रही है, उक्त समस्त जिलों में स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति से रेत निवर्तन की अवधि, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 18(11) में शिथिलता प्रदान करते हुए दिनांक 30 सितंबर, 2023 तक मान्य की जावे।"

अतः उपरोक्त निर्णय से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अवगत कराया जाये तथा उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रकाश पन्डे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक : एफ 19-3/2020/12/1/पार्ट-2/2935

भोपाल, दिनांक- 07/07/2023

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
 5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 7. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 8. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
 9. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. गई फाइल।


07/07/23

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 462 /क्षेका/प्रनिबो/

भोपाल, दिनांक 7 / 3 / 2024

प्रति,

जिला खनिज अधिकारी
खनिज शाखा,
कलेक्टर कार्यालय,
जिला-सीहोर (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 158/2023 (सीजेड)
चंदर सिंह भगवन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के आदेश दिनांक 03.11.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 158/2023 (सीजेड) चंदर सिंह भगवन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में आदेश दिनांक 03.11.2023 का अवलोकन करें। उपरोक्त आदेशानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें क्रमशः डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीहोर, केन्द्रीय एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया है। संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 को किया गया था। कृपया वर्ष 2023-2024 में अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही (वाहन जब्ती, पेनल्टी आदि) की तिथि अनुसार जानकारी प्रदान करें।

अतः उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी 3 दिवस में प्रदान करने का कष्ट करें। आगामी सुनवाई दिनांक 19.03.2024 को नियत है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

o/c

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला सीहोर म.प्र.

email- modgmseh@mp.gov.in

कमांक/ 1196 /खनिज/उ.प.भं./2024,
प्रति,

सीहोर, दिनांक 12.03.2024.

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 158/2023 (सीजेड) चंदर सिंह भगवन विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र/462/क्षेका/प्रनिबो भोपाल दिनांक 07.03.2024।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2023-2024 में अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही (वाहन जप्ती, पेनाल्टी आदि) की तिथि अनुसार जानकारी चाही गई है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी पत्र के संलग्न की आपकी ओर सादर प्रेषित है।

(संलग्न:- उपरोक्तानुसार)

for Santosh
खनि अधिकारी
जिला-सीहोर

अवैध उत्खनन की जानकारी वर्ष 2023-24

क्र.	जपती दिनांक	वाहन का प्रकार	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा (घ.मी. में)	अधिरोपित अर्थदंड	जमा अर्थदंड
1	12/4/2023	01 जेसीबी 03 ट्रैक्टर ट्राली	मुरुम	200	301000	301000
2	12/4/2023	01 जेसीबी 01 ट्रैक्टर ट्रॉली	मिट्टी	90	136000	136000
3	18/4/2023	जेसीबी मशीन	रेत	12	46000	46000
4	18/4/2023	पोकलेन मशीन	रेत	15	57250	57250
5	24/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	6	23500	23500
6	16/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	मुरुम	3	5500	5500
7	18/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	14	53500	53500
8	18/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	14	53500	53500
9	19/5/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	113500
10	24/5/2023	जेसीबी मशीन	रेत	14	53500	53500
11	24/5/2023	पोकलेन मशीन	मुरुम	34	52000	52000
12	28/5/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
13	5/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
14	5/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
15	22/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
16	22/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
17	22/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
18	22/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
19	23/6/2023	पोकलेन मशीन	रेत	27	102250	102250
20	29/6/2023	जेसीबी मशीन	रेत	14	53500	53500
21	29/6/2023	जेसीबी मशीन	रेत	14	53500	53500
22	29/6/2023	जेसीबी मशीन	रेत	14	53500	53500
23	5/7/2023	नाव ईजन	रेत	3	12250	12250
24	31/7/2023	01 जेसीबी मशीन 01 ट्रैक्टर ट्रॉली	मुरुम	80	121000	121000
25	15/10/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	15	54550	54550
26	28/10/2023	पोकलेन मशीन	रेत	30	113500	113500
27	21/11/2023	जेसीबी मशीन	रेत	27	102250	102250
28	21/11/2023	जेसीबी मशीन	रेत	27	102250	102250
29	21/11/2023	लोडर	रेत	27	102250	102250
30	22/11/2023	डंपर	मिट्टी	50	76000	76000
31	25/11/2023	जेसीबी मशीन	रेत	27	102250	102250
32	2/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	27	102250	102250
33	2/12/2023	लोडर	रेत	27	102250	102250
34	9/12/2023	01 पोकलेन मशीन 01 डंपर	मुरुम	56	85000	85000
35	18/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
36	18/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	113500
37	18/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	113500
38	18/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	113500
39	18/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	30	113500	113500
40	21/12/2023	पोकलेन मशीन	रेत	40	151000	151000
41	22/12/2023	डंपर	मिट्टी	50	76000	76000
42	30/12/2023	जेसीबी मशीन	रेत	15	57250	57250
43	1/1/2024	नाव ईजन	रेत	3	12250	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
44	1/1/2024	नाव ईजन	रेत	3	12250	12250
45	1/1/2024	नाव ईजन	रेत	3	12250	12250
46	1/1/2024	नाव ईजन	रेत	3	12250	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
47	1/1/2024	नाव ईजन	रेत	3	12250	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
48	10/1/2024	डंपर	मुरुम	40	61000	61000
49	10/1/2024	02 जेसीबी मशीन 01 डंपर	मिट्टी	140	211000	211000
50	10/1/2024	जेसीबी मशीन	मुरुम	35	53500	53500
51	16/1/2024	पोकलेन मशीन	मिट्टी	16990	25486000	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
52	28/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	27	102250	102250

55	28/1/2024	ड्रेक्टर ढॉली	रेत	27	102250	102250
	28/1/2024	लडर	रेत	27	102250	102250
	28/1/2024	लडर	रेत	27	102250	102250
56	28/1/2024	डडकलेन डशीन	रेत	27	102250	न्यायालय कलेक्टर डें डुरललत
57	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
58	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
59	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
60	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
61	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
62	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
63	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
64	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
65	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
66	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
67	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
68	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
69	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
70	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
71	3/2/2024	नलव ईऑन	रेत	3	12250	12250
72	3/2/2024	डडडर	रेत	3	12250	न्यायालय कलेक्टर डें डुरललत
73	11/2/2024	डडकलेन डशीन	रेत	40	151000	151000
74	11/2/2024	डडकलेन डशीन	रेत	40	151000	151000
75	16/2/2024	डडडर	डलटडी	50	76000	न्यायालय कलेक्टर डें डुरललत
76	25/2/2024	डडकलेन डशीन	डलटडी	60	91000	91000

अवैध परिवहन की जानकारी वर्ष 2023-24

क्र.	जपती दिनांक	वाहन का प्रकार	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा (घ.मी. में)	अधिरोपित अर्थदंड	जमा अर्थदंड
1	2/4/2023	डंपर	रेत	10	219750	219750
2	3/4/2023	डंपर	रेत	25	61170	61170
3	12/4/2023	डंपर	मुरुम	15	212250	212500
4	12/4/2023	डंपर	गिटटी	16	213000	213000
5	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
6	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
7	12/4/2023	डंपर	मुरुम	17	45826	45826
8	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
9	12/4/2023	डंपर	रेत	10	69750	69750
10	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
11	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
12	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
13	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
14	12/4/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
15	12/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
16	13/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
17	13/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
18	13/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
19	13/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
20	14/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
21	14/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
22	14/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
23	14/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
24	15/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
25	15/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
26	15/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
27	16/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
28	18/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
29	19/4/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
30	24/4/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
31	26/4/2023	डंपर	गिटटी	17	31266	31266
32	28/4/2023	डंपर	रेत	30	112250	112250
33	9/5/2023	डंपर	गिटटी	10	219000	219000
34	16/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	पत्थर	5	29750	29750
35	17/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
36	20/5/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
37	24/5/2023	डंपर	गिटटी	14	211500	211500
38	3/6/2023	डंपर	रेत	20	438500	438500
39	9/6/2023	डंपर	रेत	30	457250	457250
40	9/6/2023	डंपर	रेत	30	457250	457250
41	15/6/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
42	20/6/2023	डंपर	रेत	17.5	22570	22570
43	21/6/2023	डंपर	रेत	22	44750	44750
44	21/6/2023	डंपर	रेत	23	101625	101625
45	25/6/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
46	26/6/2023	डंपर	रेत	26.5	143187	143187

47	26/6/2023	डंपर	रेत	26.5	143187	143187
48	27/6/2023	डंपर	रेत	25	60375	60375
49	27/6/2023	डंपर	रेत	23	65930	65930
50	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
51	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
52	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
53	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
54	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
55	27/6/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
56	4/7/2023	डंपर	मुरुम	18	214500	214500
57	11/7/2023	डंपर	रेत	24.5	99438	99438
58	11/7/2023	डंपर	रेत	24.5	99438	99438
59	17/7/2023	डंपर	मुरुम	32	29166	29166
60	24/7/2023	डंपर	गिटटी	18	233400	233400
61	24/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
62	24/7/2023	डंपर	रेत	28	176000	176000
63	25/7/2023	डंपर	रेत	14	227250	227250
64	25/7/2023	डंपर	रेत	30	208813	208813
65	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
66	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
67	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
68	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
69	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
70	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
71	26/7/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	1	27875	27875
72	28/7/2023	डंपर	गिटटी	19	43900	43900
73	31/7/2023	डंपर	रेत	30	208813	208813
74	1/8/2023	डंपर	रेत	10	219750	219750
75	3/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	गिटटी	3	31400	31400
76	3/8/2023	डंपर	रेत	10	219750	219750
77	3/8/2023	डंपर	रेत	16	22146	22146
78	8/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31400	31400
79	8/8/2023	डंपर	रेत	23	66625	66625
80	9/8/2023	डंपर	रेत	17	230700	230700
81	18/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	10	44750	44750
82	20/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
83	20/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
84	23/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	4	32000	32000
85	26/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
86	26/8/2023	डंपर	रेत	20	48500	48500
87	26/8/2023	डंपर	रेत	20	438500	438500
88	26/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
89	26/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
90	28/8/2023	डंपर	रेत	10	219750	219750
91	29/8/2023	डंपर	मुरुम	17	47727	47727
92	2/9/2023	डंपर	रेत	25	447875	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
93	5/9/2023	डंपर	रेत	24	75166	75166
94	8/9/2023	डंपर	गिटटी	23	65555	65555
95	10/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
96	10/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
97	10/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625

98	14/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
99	19/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31650
100	19/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
101	21/9/2023	डंपर	रेत	16	231000	231000
102	30/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
103	30/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
104	30/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
105	30/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
106	30/9/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
107	19/10/2023	डंपर	गिटटी	20	437000	437000
108	19/10/2023	डंपर	गिटटी	30	92850	92850
109	19/10/2023	डंपर	गिटटी	24	116213	116213
110	19/10/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
111	19/10/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
112	19/10/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
113	23/10/2023	डंपर	गिटटी	30	457250	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
114	31/10/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
115	1/11/2023	डंपर	गिटटी	19	43900	43900
116	2/11/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
117	2/11/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
118	2/11/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	228000
119	3/11/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
120	9/11/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
121	22/11/2023	डंपर	गिटटी	10	219000	219000
122	22/11/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
123	22/11/2023	डंपर	गिटटी	29	72200	72200
124	22/11/2023	डंपर	गिटटी	21	72500	72500
125	22/11/2023	डंपर	गिटटी	21	72500	72500
126	22/11/2023	डंपर	मुरुम	10	208500	208500
127	25/11/2023	डंपर	मुरुम	23	60305	60305
128	25/11/2023	डंपर	गिटटी	21	72500	72500
129	28/11/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
130	28/11/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
131	1/12/2023	डंपर	गिटटी	30	69738	69738
132	2/12/2023	डंपर	रेत	20	58500	58500
133	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
134	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
135	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
136	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
137	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
138	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
139	8/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
140	9/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	5	35375	35375
141	9/12/2023	डंपर	रेत	5	35375	35375
142	10/12/2023	डंपर	मुरुम	19	26029	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
143	10/12/2023	डंपर	मुरुम	19	26029	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
144	10/12/2023	डंपर	मुरुम	19	26029	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
145	19/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
146	19/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
147	20/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
148	20/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375

149	20/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	4	32563	32563
150	22/12/2023	डंपर	गिटटी	15	228000	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
151	24/12/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
152	24/12/2023	डंपर	गिटटी	19	43900	43900
153	24/12/2023	डंपर	गिटटी	24	88500	88500
154	24/12/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
155	24/12/2023	डंपर	गिटटी	23	66400	66400
156	24/12/2023	डंपर	रेत	22	44750	44750
157	24/12/2023	डंपर	रेत	24	88500	88500
158	26/12/2023	डंपर	रेत	25	446875	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
159	28/12/2023	डंपर	रेत	30	110375	110375
160	29/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
161	29/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
162	29/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
163	29/12/2023	डंपर	रेत	25	110375	110375
164	30/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
165	30/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
166	30/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
167	30/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
168	8/1/2024	डंपर	रेत	22	97500	97500
169	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
170	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	5	35375	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
171	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	5	35375	35375
172	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
173	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
174	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	5	35375	35375
175	9/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31675
176	15/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
177	17/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
178	17/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
179	17/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
180	17/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
181	17/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
182	19/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
183	21/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
184	21/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
185	27/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
186	27/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
187	27/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
188	29/1/2024	डंपर	रेत	27	154125	154125
189	29/1/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
190	29/1/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
191	29/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
192	29/1/2024	डंपर	रेत	27	154125	15500
193	29/1/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
194	29/1/2024	डंपर	रेत	3	31625	31625
194	29/1/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	27	154125	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
195	29/1/2024	डंपर	रेत	24	88500	88500
196	31/1/2024	डंपर	रेत	24	48500	48500
197	31/1/2024	डंपर	रेत	24	48500	48500
198	31/1/2024	डंपर	रेत	24	88500	88500
199	31/1/2024	डंपर	रेत	24	88500	88500

200	1/2/2024	डंपर	रेत	23	121486	121486
201	1/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
202	1/2/2024	डंपर	रेत	23	121486	121486
203	1/2/2024	डंपर	रेत	23	121486	121486
204	1/2/2024	डंपर	रेत	27	101284	101284
205	4/2/2024	डंपर	गिटटी	18	65342	65342
206	4/2/2024	डंपर	गिटटी	18	65342	65342
207	8/2/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
208	8/2/2024	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	3	31625	31625
209	24/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
210	24/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
211	25/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
212	25/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
213	25/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
214	25/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
215	25/2/2024	डंपर	रेत	25	110375	110375
216	29/2/2024	डंपर	रेत	23	66625	66625

अवैध भंडारण की जानकारी वर्ष 2023-24

क.	जप्ती दिनांक	वाहन का प्रकार	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा (घ.मी. में)	अधिरोपित अर्थदंड	जमा अर्थदंड
1	12/4/2023	जेसीवी मशीन	गिट्टी	14	51400	51400
2	21/7/2023	डंपर	मुरुम	14	22000	22000
3	21/7/2023	डंपर	मुरुम	14	22000	22000
4	22/7/2023	डंपर	मुरुम	30	46000	46000
5	29/7/2023	डंपर	रेत	25	94750	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
6	29/8/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	4	16000	16000
7	2/9/2023	डंपर	रेत	20	76000	76000
8	4/9/2023	डंपर	रेत	20	76000	76000
9	5/9/2023	डंपर	रेत	40	151000	151000
10	5/10/2023	डंपर	रेत	15	57250	57250
11	7/12/2023	डंपर	रेत	30	113500	113500
12	7/12/2023	डंपर	रेत	25	94750	94750
13	8/12/2023	डंपर	रेत	20	76000	76000
14	29/12/2023	ट्रेक्टर ट्रॉली	रेत	30	145125	145125
15	29/12/2023	निल	रेत	20	76000	न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित
16	1/2/2024	डंपर	गिट्टी	20	73000	73000



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1566 / SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303691/2023 प्रकरण क्रमांक 7626/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 23.341 हे., उत्पादन क्षमता 90,940 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 23.341 हे., उत्पादन क्षमता 90,940 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7626/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6730-31/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1160 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4138 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-
 1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as pr tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
 2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
 3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 420138 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
 4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
 5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.
- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.08.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6730-31/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तिनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैन्युअल विधि) रकबा 23.341 हे., उत्पादन क्षमता 90,940 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।


अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।



1
(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1584/SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303739/2023 प्रकरण क्रमांक 7624/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 77,020 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-3, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 77,020 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-3, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

- II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7624/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 7240-41/एसईआईएए/2021 दिनांक 15.03.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1163 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4136 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 360000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 7240-41/एसईआईएए/2021 दिनांक 15.03.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 77,020 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 223, ग्राम अम्बाजदीद-3, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.03.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 14.03.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

Case No. 7624/2020

2/3

- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।



/
(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Case No. 7624/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1580/SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303696/2023 प्रकरण क्रमांक 7617/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 16.032 हे., उत्पादन क्षमता 61,810 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 178, ग्राम बडगांव-1, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 16.032 हे., उत्पादन क्षमता 61,810 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 178, ग्राम बडगांव-1, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7617/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- I. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6726-27/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- II. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1175 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- IV. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- V. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4132 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 288576 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VI. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- VII. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6726-27/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 16.032 हे., उत्पादन क्षमता 61,810 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 178, ग्राम बडगांव-1, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

Case No. 7617/2020

2/3

11. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।




(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Case No. 7617/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1574/SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303714/2023 प्रकरण क्रमांक 7621/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 21.733 हे., उत्पादन क्षमता 91,120 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 165, 01, ग्राम बडगांव-2, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 21.733 हे., उत्पादन क्षमता 91,120 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 165, 01, ग्राम बडगांव-2, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
 - I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
 - II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7621/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- I. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6736-37/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- II. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1178 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- IV. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- V. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4134 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 391194 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VI. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- VII. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6736-37/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 21.733 हे., उत्पादन क्षमता 91,120 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 165, 01, ग्राम बडगांव-2, तहसील नसरुल्लागंज (भैरुंदा), जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

Case No. 7621/2020

2/3

- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।



(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Case No. 7621/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 15861 SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303739/2023 प्रकरण क्रमांक 7622/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 155/1/1, ग्राम जनवासा-2, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 155/1/1, ग्राम जनवासा-2, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
 - I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटरीज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
 - II. दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटरीज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7622/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6746-47/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1225 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4126 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 360000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6746-47/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.242 हे., उत्पादन क्षमता 91,450 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 149/1, ग्राम जोशीपुर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।



(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1568 / SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303764/2023 प्रकरण क्रमांक 7609/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.50 हे., उत्पादन क्षमता 2,05,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 363/1, ग्राम बाबरी-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 20.50 हे., उत्पादन क्षमता 2,05,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 363/1, ग्राम बाबरी-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7609/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6740-41/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1172 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4120 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as pr tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 369000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा 6740-41/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.50 हे., उत्पादन क्षमता 2,05,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 363/1, ग्राम बाबरी-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के

Case No. 7609/2020

2/3

उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित ।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

- क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक
- प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
 4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
 5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
 6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
 7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
 9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
 10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
 11. संबंधित फाईल।



(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 15821 SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303769/2023 प्रकरण क्रमांक 7627/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 15.801 हे., उत्पादन क्षमता 72,850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 241, ग्राम जहाजपुरा-1, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 15.801 हे., उत्पादन क्षमता 72,850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 241, ग्राम जहाजपुरा-1, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7627/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6728-29/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1198 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4124 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as pr tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 284418 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6728-29/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 15.801 हे., उत्पादन क्षमता 72,850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 241, ग्राम जहाजपुरा-1, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

- क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक
- प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
 4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
 5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
 6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
 7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
 9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
 10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
 11. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1578/SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303772/2023 प्रकरण क्रमांक 7625/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 23.00 हे., उत्पादन क्षमता 1,08,840 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 300, ग्राम जहाजपुरा-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 23.00 हे., उत्पादन क्षमता 1,08,840 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 300, ग्राम जहाजपुरा-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

- II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7625/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6738-39/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1201 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4144 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as pr tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 414000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.

- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6738-39/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 23.00 हे., उत्पादन क्षमता 1,08,840 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 300, ग्राम जहाजपुरा-2, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

Case No. 7625/2020

2/3


- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/20232 भोपाल दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Case No. 7625/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 1564/SEIAA/2023
Date: 3/10/23

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/303778/2023 प्रकरण क्रमांक 7616/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 12.140 हे., उत्पादन क्षमता 71,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 245, ग्राम जाजना, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 12.140 हे., उत्पादन क्षमता 71,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 245, ग्राम जाजना, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
 - I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटरीज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
 - II. दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटरीज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में

Case No. 7616/2020

1/3

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6724-25/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1213 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4142 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-
 1. The proposed sand mine of District Sehore auctioned as pr tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
 2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
 3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 218520 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
 4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
 5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.
- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर द्वारा पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सीहोर जिले की रेत खदानों की स्वीकृत मूल अवधि दिनांक 30.06.2023 तक थी जिसकी अवधि विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिये की गई जिसे पुनः म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से सीहोर जिले की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- IX. जिला सीहोर की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6724-25/एसईआईएए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 12.140 हे., उत्पादन क्षमता 71,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 245, ग्राम जाजना, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।



Case No. 7616/2020

2/3

- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र..

/SEIAA/2023 भोपाल

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।



(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Case No. 7616/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No: 25/51 SEIAA/2024

Date: 5/11/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/306799/2023 प्रकरण क्रमांक 7610/20- पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्ती नगर, हबीबगंज, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 21.582 हे., उत्पादन क्षमता 92,490 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224, ग्राम अम्बाजदीद-1, तहसील नसुरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति, श्री अर्जुन श्रीवास्तव, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 21.582 हे., उत्पादन क्षमता 92,490 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224, ग्राम अम्बाजदीद-1, तहसील नसुरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

I. जिला खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक, श्री कृष्ण प्रवीण कोटा, निवासी फ्लैट न. 248, सेक्टर -2 शक्तीनगर हबीबगंज जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि, उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Case No. 7610/2020

1/3

- I II. एसईआईए द्वारा पत्र क्र. 6734-47/एसईआईए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- ✓ NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- ✓ नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1157 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- ✓ खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर का पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 की प्रति।
- VII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4146 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लि. के नाम स्वीकृत रेत खदानों की मूल अवधि दिनांक 30.06.2022 तक थी, जिसकी अवधि का विस्तार दिनांक 01.07.2022 से 30.08.2023 तक के लिए किया गया। तदुपरान्त खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2023 से समस्त रेत उत्खनी पट्टा 10 वर्ष हेतु दिनांक 29.09.2023 से 28.09.2033 की अवधि के लिये किया गया की प्रति।
- VIII. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 4140 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :-

1. The proposed sand mine of District Sidhi auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 388476 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceed the time period of five years.


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईए द्वारा पत्र क्र. 6734-47/एसईआईए/2021 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्ती नगर, हबीबगंज, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 21.582 हे., उत्पादन क्षमता 92,490 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224, ग्राम अम्बाजदीद-1, तहसील नसुरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेश हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 18.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में समावेश व अन्य जानकारी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की

निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- IV. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित वृक्षारोपण की विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा किया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किया जाये।
- V. जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2021 में निहित सी.ई.आर. विशिष्ट शर्त अनुसार प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- VII. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- VIII. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

अध्यक्ष, प्राधिकरण महोदय द्वारा अनुमोदित ।



o/c (मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. 2516 /SEIAA/2023 भोपाल

दिनांक 5/11/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट लि. कार्यपालन संचालक श्री कृष्ण प्रवीण कोटा फ्लैट नं. 248, सेक्टर -2 शक्ति नगर, हबीबगंज, जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Case No. 7610/2020

3/3



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 30/6 / SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304642/2023 प्रकरण क्र. 8902/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,88,613 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 18.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 79, ग्राम नीलकण्ठ, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nilkanth	8902/2022	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	188613	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर लिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जायें।

Case No. 8902/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संघयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2018 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिय हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेणशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्ता मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशासित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,88,813 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशासित), रकबा 18.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 79, ग्राम नीलकण्ठ, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 30/7 /SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 20/2/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024
का कार्यवाही विवरण

द्वारा अनुशंसित), रकबा 16.10 हेक्टर, खसरा क्रमांक 79, ग्राम नीलकण्ठ, तहसील नसरुल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nilkanth	8902/2022	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	188613	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जाये।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Alshau
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024
का कार्यवाही विवरण

प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।

10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसमा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार मट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024
का कार्यवाही विवरण

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 80 प्रतिशत माईनेबल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 8393/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,13,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 207, ग्राम संसारखेड़ा-2, तहसील साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Sansarkheda 2	8393/2021	08-Feb-2023	30-June-23	07-Feb-2028	113400	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 2992 / SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304677/2023 प्रकरण क्र. 8905/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-3, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-3	8905/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार

Case No. 8905/2022

1/3

पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संवयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संवय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु निम्नानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईई अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिगरेल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-3, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

o/c (संजीव सिंह)
सदस्य सचिव ✓

क्र. 2993 /SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 25/2/24
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP119708** दिनांक **15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

- प्रकरण क्र. 8905/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-3, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-3	8905/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

- Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 8906/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,98,300 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.950 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 104/2, ग्राम सोमलवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Somalwada	8906/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	198300	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 2996 / SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304688/2023 प्रकरण क्र. 8901/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,02,380 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-4, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janvasa-4	8901/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	202380	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर. के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर. में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

Case No. 8901/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संवयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC228001MP166465 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संवय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सीईआर गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनेरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,02,380 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-4, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव ✓

क्र. 2997 / SEIAA / 2024 भोपाल दिनांक 20/2/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 8901/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,02,380 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-4, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-4	8901/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	202380	Partially

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

						completed
--	--	--	--	--	--	-----------

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 9333/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 14.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 225/1, ग्राम सतरावन-1, तहसील बरैली, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Satrawan-1	9333/2022	06-April-23	30-June-23	05-April-28	200000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 2962 / SEIAA/2024
Date: 29/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304718/2023 प्रकरण क्र. 8906/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,98,300 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.950 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 104/2, ग्राम सोमलवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Somalwada	8906/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	198300	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृद्धारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिफ्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जायें।

Case No. 8906/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2018 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC228001MP141054 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिय हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेण्डसिमेंट, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP141054 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,98,300 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.950 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 104/2, ग्राम सोमलवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP141054 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव ✓

क्र. 2983 /SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 20/2/24
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रमारी अधिकारी

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 8906/2021 परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,98,300 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.950 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 104/2, ग्राम सोमलवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Somalwada	8906/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	198300	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP141054 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP141054 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 8908/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 893/852, 852, ग्राम सरदारनगर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Sardarnagar	8908/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	216000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 302/SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304720/2023 प्रकरण क्र. 8907/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरुआ, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Charua	8907/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	24510	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

Case No. 8907/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संवयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के F.D.A एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संवय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरुआ, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

e/c (संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 3013
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 20/2/24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

e/c (अलोक नायक)
प्रमारी अधिकारी



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 302/SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304720/2023 प्रकरण क्र. 8907/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरुआ, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Charua	8907/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	24510	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

Case No. 8907/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संवयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के F.D.A एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संवय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरुआ, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

e/c (संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 3013
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 20/2/24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

e/c (अलोक नायक)
प्रमारी अधिकारी

8. प्रकरण क्र. 8907/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरुआ, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Charua	8907/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	24510	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline 2016** में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

- प्रकरण क्र. 8905/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-3, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC Issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-3	8905/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

- Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 2994 / SEIAA/2024
Date: 24/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304731/2023 प्रकरण क्र. 8900/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,85,855 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300, 311, ग्राम जहाजपुरा-3, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Jahajpura-3	8900/2022	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	285855	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृत्तारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जायेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

Case No, 8900/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संघनन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय साप्त सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिय हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल गिनरल पोटेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,85,855 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300, 311, ग्राम जहाजपुरा-3, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 2995 /SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 20/2/24
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 8900/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,85,855 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300, 311, ग्राम जहाजपुरा-3, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Jahajpura-3	8900/2022	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	285855	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।


- खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
- नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
- राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।


प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।



(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No. 8376 / SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304737/2023 प्रकरण क्र. 8376/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 76,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.093 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 120, ग्राम नेहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nahlai	8376/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	76000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जाये।

Case No. 8376/2021

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के F.D.A एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएँ विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रियता हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशासित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 76,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशासित), रकबा 8.093 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 120, ग्राम नेहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 3821 /SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 29/2/24 %

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC23B000MP157274 दिनांक 09/02/2023 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 8376/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 76,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.093 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 120, ग्राम नहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nahlai	8376/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	76000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समीक्षा की जावें तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। ”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 8900/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,85,855 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300, 311, ग्राम जहाजपुरा-3, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Jahajpura-3	8900/2022	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	285855	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 30/8 / SEIAA/2024
Date: 20/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्ताव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304746/2023 प्रकरण क्र. 8377 / 2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्ताव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,803 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 649, ग्राम निनोर, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वीं बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Ninor	8377/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	74803	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ईसी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा बुधवारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई

Case No. 8377/2021

1/3

जायेगी।

7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में छोड़े झुआं में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकती है।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रियता हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेबल मिनरल पोटेणियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

Case No. 8377/2021

2/3

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,803 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 649, ग्राम निनोर, तहसील रेडटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव ✓

क्र. 309
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2024 भोपाल दिनांक

29/7/24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
11. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP172422 दिनांक 20/12/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

41. प्रकरण क्र. 8377/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्ताव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,803 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 649, ग्राम निनोर, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Ninor	8377/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	74803	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

42. प्रकरण क्र. 9323/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,00,174 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 475, ग्राम गौरामरूछई, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Goramchuwai	9323/2022	06-April-2023	30-June-2023	05-April-2028	300174	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: 2998 / SEIAA/2024
Date: 29/2/24

प्रति,

दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव,
पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/304697/2023 प्रकरण क्र. 8904/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,99,329 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 263/212, ग्राम महूकला, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Mahukala	8904/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	199329	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

Case No. 8904/2022

1/3

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिय हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत मार्शनेबल मिनरल पोटेन्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशासित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,99,329 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशासित), रकबा 20.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 263/212, ग्राम महकला, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 की वैधता वृद्धि दिनांक 14/06/2027 तक के लिये SEAC द्वारा अधिरोपित विशेष शर्तों (1 से 10) एवं प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त विशेष शर्तों (1 से 10) के साथ की जाती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

क्र. 2999 / SEIAA / 2024 भोपाल दिनांक 20/2/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP127822 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 8904/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,99,329 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 263/212, ग्राम महूकला, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Mahukala	8904/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	199329	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात्

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ही परिवहन किया जायेगी ।

8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तों के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 8901/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,02,380 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा-4, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-4	8901/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	202380	Partially

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष